

THINK IAS

JOIN SAMYAK

Samyak

An Institute For Civil Services

DAILY

CURRENT नामा

01 अक्टूबर 2024

📞 9875170111

📍 SAMYAK IAS, NEAR RIDDHI-SIDDHI, JAIPUR

समाज


1. स्विटजरलैंड में सार्को पॉड कानूनी जांच के दायरे में: सहायता प्राप्त मृत्यु और इच्छामृत्यु का मामला: इंडियन एक्सप्रेस

मुखियों में क्यों? »

सार्को पॉड, एक विवादास्पद आत्महत्या उपकरण जिसे सहायता प्राप्त मृत्यु के लिए डिज़ाइन किया गया है, एक अमेरिकी महिला की मृत्यु के बाद स्विटजरलैंड में कानूनी जांच के दायरे में आ गया है। इस घटना ने सहायता प्राप्त मृत्यु और इच्छामृत्यु की नैतिकता के बारे में बहस छेड़ दी है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह उपकरण सहायता प्राप्त मृत्यु पर स्विस् कानूनों का उल्लंघन करता है।

सार्को पॉड »

- **विवरण:** ताबूत के आकार का उड़ी-प्रिटेड उपकरण जिसे दर्द रहित, स्व-प्रशासित इच्छामृत्यु की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **तंत्र:** यह तरल नाइट्रोजन का उपयोग करके अंदर ऑक्सीजन के स्तर को तेज़ी से कम करता है, जिससे अंदर मौजूद व्यक्ति कुछ ही मिनटों में बेहोश हो जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है।
- **किस संस्था द्वारा विकसित:** एग्जिट इंटरनेशनल



यहाँ उत्पाद सुरक्षा विनियमों के अनुपालन से संबंधित मुद्दे हैं। इसके अतिरिक्त, स्विस् केमिकल्स अधिनियम के तहत नाइट्रोजन गैस के उपयोग को लेकर भी चिंताएँ जताई गई हैं

सरको पॉड से सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:

आलोचकों का तर्क है कि यह व्यावसायिक मूल्य को बढ़ावा दे सकता है, जबकि समर्थकों का दावा है कि यह व्यक्तियों को उनकी मूल्य पर स्वायत्तता प्रदान करता है।

व्यावसायिक मूल्य:

संबंधित चुनौतियाँ:

कानूनी अस्पष्टताएँ:

सरको पॉड सहायक आत्महत्या में बाहरी सहायता के बारे में जटिल प्रश्न उठाता है। स्विस् कानून में वर्तमान में सरको पॉड जैसे उपकरणों को कवर करने वाले प्रावधान नहीं हैं, जिससे कानूनी अस्पष्टताएँ पैदा होती है।

इस तरह के उपकरण के उपयोग से मरने के अधिकार के संबंध में नैतिक चिंताएँ उत्पन्न होती हैं तथा यह भी कि क्या प्रोद्योगिकी को इच्छामूल्य में कोई भूमिका निभानी चाहिए।

नैतिक दुविधा:

राज्यवस्था

2. मणिपुर के पहाड़ी जिलों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम को छह महीने के लिए बढ़ाया गया - द हिंदू

मणिपुर सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA) को 1 अक्टूबर, 2024 से छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह निर्णय राज्य में चल रही जातीय हिंसा के बीच लिया गया है, जिसके कारण कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करना आवश्यक हो गया है।

बिना वारंट के गिरफ्तारी: सशस्त्र बल का आफिसर किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है यदि उसे लगता है कि व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध किया है अथवा जिसके बारे में यह युक्तियुक्त संदेह है कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है या करने वाला है।

बल का प्रयोग: सशस्त्र बल का आफिसर भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली कार्रवाइयों को रोकने के लिए गोली चलाकर या बल का प्रयोग करके किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकता है;

बिना वारंट के तलाशी: अधिनियम बिना वारंट के परिसर की तलाशी की अनुमति देता है।

कानूनी प्रतिरक्षा: सशस्त्र बलों के कार्रवाइयों को AFSPA के तहत की गई कार्रवाइयों के लिए अभियोजन से संरक्षण प्राप्त है, बशर्ते कि वे सद्भावनापूर्वक तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करें।

प्रदत्त शक्तियाँ: AFSPA सशस्त्र बलों को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान करता है:

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA)

अधिनियमन वर्ष: 1958

ऐतिहासिक संदर्भ:

यह अधिनियम 1942 के ब्रिटिश अध्यादेश पर आधारित है जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को रोकना था।

उद्देश्य:


उग्रवाद से निपटने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए "विक्षुब्ध" माने जाने वाले क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियाँ प्रदान करना।

विक्षुब्ध क्षेत्र:

ऐसा क्षेत्र जिसे धारा 3 के अधीन अधिसूचना द्वारा तत्समय विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के कोई आयुक्त आफिसर द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है एवं बिना वारंट के तलाशी ली जा सकती है। अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण प्राप्त है।

अफ़स्य स्थिति

- हटा लिया गया
- आंशिक रूप से लागू
- पूर्णतः लागू



पूर्वोत्तर में AFSPA कब लागू किया गया?

नगालैंड

1958

मिजोरम 1967, 1986 में हटाया गया

त्रिपुरा 1970, 2015 में हटाया गया

मणिपुर 1980

अरुणाचल प्रदेश

1987

असम 1990

मेघालय

1990, 2018 में हटाया गया

अर्थव्यवस्था

3. केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा कूज़ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया - पीआईबी

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सबनिंद सोनोवाल ने कूज़ भारत मिशन का शुभारंभ किया। यह मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ब्लू इकोनॉमी पहल के अनुरूप है।

कूज़ भारत मिशन »

- **उद्देश्य:** अगले पाँच वर्षों में भारत में कूज़ यात्रियों और कॉल की संख्या को दोगुना करना, जिससे भारत को कूज़ पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। मिशन का उद्देश्य 2029 तक 100 रिवर कूज़ टर्मिनल विकसित करना भी है, जिससे भारत के व्यापक अंतर्देशीय जलमार्गों पर यात्रा को सुविधाजनक बनाया जा सके।
- **प्रमुख लक्ष्य:** 2029 तक कूज़ यात्रियों की संख्या को 0.5 मिलियन से दोगुना करके 1 मिलियन करना तथा समुद्री कूज़ की संख्या को 125 से बढ़ाकर 500 करना।
- **रोजगार सृजन:** मिशन के तहत 4 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन।
- **चरणबद्ध योजना:** मिशन 2024 से 2029 तक तीन चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा
- **चरण 1(2024-2025):** पड़ोसी देशों के साथ अध्ययन और कूज़ गठबंधन।
- **चरण 2(2025-2027):** उच्च क्षमता वाले कूज़ स्थानों के विकास।
- **चरण 3(2027-2029):** सभी कूज़ सर्किटों का एकीकरण।
- **संबंधित मंत्रालय:** केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

मिशन ने पांच
रणनीतिक स्तंभों की
पहचान की है:

स्थायी इन्फ्रास्ट्रक्चर:

डिजिटलीकरण और डीकार्बोनाइजेशन के साथ विश्वस्तरीय टर्मिनल और मरीना विकसित करना।

प्रौद्योगिकी सक्षम संचालन:

सुगम सवारी के लिए डिजिटल समाधान का कार्यान्वयन।

कूज़ प्रमोशन:

अंतरराष्ट्रीय विपणन और निवेश संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना।

विनियामक नीतियाँ:

कर परिदृश्यों और राष्ट्रीय कूज़ पर्यटन नीति के शुभारंभ पर ध्यान।

क्षमता निर्माण:

कौशल विकास और कूज़ उद्योग में युवा रोजगार को बढ़ावा देना।

4.42 महीनों में पहली बार अगस्त में प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर घटी- द हिंदू

भारत में प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर में 42 महीनों में पहली बार गिरावट आई है। आठ में से छह प्रमुख बुनियादी उद्योग के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। केवल उर्वरक और इस्पात में वृद्धि देखी गई, हालांकि यह वृद्धि भी धीमी ही रही।

प्रमुख बुनियादी उद्योग »

- **प्रमुख बुनियादी उद्योग:** इसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली जैसे प्रमुख बुनियादी उद्योग शामिल हैं।
- **आठ प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक (आईसीआई)**
 - **विवरण:** यह आठ प्रमुख उद्योगों- सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, परिष्कृत उत्पाद और इस्पात- के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है। आठ प्रमुख उद्योगों में, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में शामिल वस्तुओं का 40.27 प्रतिशत हिस्सा, शामिल है।
 - **प्रकृति:** मासिक सूचकांक
 - **किसके द्वारा जारी किया जाता है:** आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा
 - **महत्व:** यह भारत में औद्योगिक गतिविधि और आर्थिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
 - **आठ प्रमुख उद्योगों का वर्तमान भार:** पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद (28.04%) > बिजली > इस्पात > कोयला > कच्चा तेल > प्राकृतिक गैस > सीमेंट > उर्वरक (2.63)

पर्यावरण

5. गैर-बासमती सफेद चावल पर निर्यात प्रतिबंध हटा: इसके संभावित प्रभाव - इंडियन एक्सप्रेस

भारत ने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को हटा दिया है। पिछले साल चावल उत्पादन और मानसून से संबंधित अनिश्चितताओं के कारण यह प्रतिबंध लगाया गया था। परंतु देश के चावल उत्पादन में अब उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। अच्छे मानसून और सरकारी गोदामों में चावल का पर्याप्त भंडार होने के कारण यह फैसला लिया गया है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू व्यापारियों और अंतरराष्ट्रीय बाजारों दोनों को लाभ पहुंचाना है।

वैश्विक स्तर पर चावल संबंधी तथ्य

चावल में वैश्विक प्रतिस्पर्धी:

थाईलैंड और वियतनाम वैश्विक चावल बाजार में दो प्रमुख प्रतिस्पर्धी हैं। वे पाकिस्तान, कंबोडिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर भारत के प्राथमिक प्रतिस्पर्धी हैं।

चावल निर्यात श्रेणियाँ:

भारत बासमती और गैर-बासमती चावल दोनों का निर्यात करता है।

भारत के कुल चावल निर्यात में बासमती का हिस्सा लगभग एक तिहाई है, जबकि गैर-बासमती में छह उपश्रेणियाँ शामिल हैं, जिनमें बीज के गुणों वाले भूसी युक्त चावल; भूसी युक्त अन्य चावल; भूसी (भूरा) चावल; उसना (Parboiled) चावल; गैर-बासमती सफेद चावल; और टूटे हुए चावल हैं।

गैर-बासमती सफेद चावल के लिए मुख्य निर्यात बाजार:

केन्या, मोजाम्बिक, कैमरून, वियतनाम और मलेशिया 2023-24 में शीर्ष आयातकों में से थे।

गैर-बासमती सफेद चावल पर निर्यात प्रतिबंध:

गैर-बासमती सफेद चावल पर निर्यात प्रतिबंध पिछले वर्ष चावल उत्पादन में गिरावट और अनियमित मानसून पैटर्न के खतरे के कारण लगाया गया था, जिससे आपूर्ति की कमी की आशंका बढ़ गई थी।

प्रतिबंध हटाया गया:

2023-24 के खरीफ सीजन में धान की बुआई में तेजी देखी गई है, जो काफी हद तक अनुकूल मानसून की स्थिति से प्रेरित है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2024 तक धान की खेती का रकबा बढ़कर 413.50 लाख हेक्टेयर हो गया, जो पिछले साल 404.50 लाख हेक्टेयर था।

भारत में चावल की खेती

- **प्रमुख उत्पादक राज्य:** पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और बिहार。
 - पश्चिम बंगाल में किसान चावल की तीन फ़सलें उगाते हैं जिन्हें 'औस', 'अमन' और 'बोरो' कहा जाता है।
- **मौसम:** चावल मुख्य रूप से खरीफ मौसम में उगाया जाता है।
- **प्रमुख उत्पादक:** चीन (प्रथम) और भारत (द्वितीय) सबसे बड़े उत्पादक हैं, जो दुनिया के चावल उत्पादन के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं।



6. ला नीना और उत्तर भारत का प्रदूषण - इंडियन एक्सप्रेस

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड साइंस (NIAS) के हालिया शोध ने भारत में जलवायु परिवर्तन, ला नीना और वायु गुणवत्ता के बीच परस्पर क्रिया को उजागर किया है, खासकर 2022-23 की सर्दियों के दौरान, जब दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ था।



ला नीना

- विवरण:** ला नीना, जिसका स्पेनिश में अर्थ "छोटी लड़की" होता है, की विशेषता सामान्य से अधिक तेज व्यापारिक हवाएं हैं जो अधिक गर्म पानी को एशिया की ओर धकेलती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका के पश्चिमी तट पर ठंडे, पोषक तत्वों से भरपूर पानी का ऊपर उठना बढ़ जाता है।
- मौसम के पैटर्न:** ला नीना के कारण जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर बढ़ती है, जिससे अक्सर दक्षिणी अमेरिका में सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है, जबकि प्रशांत उत्तर-पश्चिम और कनाडा में भारी बारिश और बाढ़ आ सकती है। ला नीना के वर्षों के दौरान, सर्दियों का तापमान दक्षिण में गर्म और उत्तर में ठंडा होता है।



7. कर्नाटक सरकार ने केंद्र से पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों को इको-सेंसिटिव एरिया घोषित करने संबंधी मसौदा अधिसूचना वापस लेने को कहा - द हिंदू

कर्नाटक सरकार ने औपचारिक रूप से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों को इको-सेंसिटिव क्षेत्र(ESA) घोषित करने के प्रस्ताव वाले मसौदा अधिसूचना को वापस लेने का अनुरोध किया है। यह निर्णय राज्य द्वारा कस्तूरिंगन समिति की रिपोर्ट को अस्वीकार करने के बाद लिया गया है, जो मसौदा अधिसूचना का आधार है।

पृष्ठभूमि

- **पिछली अधिसूचनाएँ:** केंद्र सरकार ने पिछले एक दशक में कई बार पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों को ESA के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास किया है, लेकिन इन अधिसूचनाओं को राज्य सरकारों और स्थानीय समुदायों सहित विभिन्न हितधारकों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है।
 - इको सेंसिटिव जोन ऐसे क्षेत्र होते हैं, जिन्हें संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय पार्कों, वन्यजीव अभ्यारणों) के आस-पास के क्षेत्र को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए बफर जोन के रूप में निर्मित किया जाता है। इको सेंसिटिव जोन की सीमा संरक्षित क्षेत्रों से 10 किलोमीटर तक निर्धारित की गई है।
- **राज्य सरकार की प्रतिक्रिया:** 26 सितंबर को कैबिनेट की बैठक के बाद, कर्नाटक सरकार ने कस्तूरिंगन समिति की रिपोर्ट को अस्वीकार करने का फैसला किया। सरकार ने कहा कि इसके कार्यान्वयन से स्थानीय निवासियों, विशेष रूप से 10 जिलों के 1,499 गांवों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

कस्तूरिंगन समिति:

- **गठन:** 2012 में
- **उद्देश्य:** यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पश्चिमी घाट के प्रबंधन का आकलन और सिफारिश करना।
- **मुख्य सिफारिशें**
 - रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था कि पश्चिमी घाट के लगभग 37% हिस्से को ESA के रूप में नामित किया जाना चाहिए।
 - इसमें सतत भूमि उपयोग, विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन के लिए दिशा-निर्देश दिए गए थे। इसमें खनन, निर्माण और कृषि जैसी गतिविधियों को विनियमित करने की सिफारिशें शामिल थीं।
 - समिति ने संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया था।
 - इसने अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक वैज्ञानिक और तकनीकी सलाहकार समिति की स्थापना की वकालत की थी।

8. भारतीय हाथियों ने उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने के कारण आनुवंशिक शक्ति खो दी है; साथ ही यह पाँच आनुवंशिक रूप से अलग जनसंख्या में बँटे हैं: अध्ययन

हाल ही में किए गए एक अध्ययन में भारतीय हाथियों की आनुवंशिक विविधता और जनसंख्या गतिशीलता के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए हैं। शोध में हाथियों के उत्तर से दक्षिण की ओर पलायन के कारण आनुवंशिक शक्ति में कमी को उजागर किया गया है, जिसमें पाँच अलग-अलग जनसंख्या की पहचान की गई है, जिनके लिए अनुकूलित संरक्षण रणनीतियों की आवश्यकता है। अध्ययन में जनसंख्या की निगरानी और व्यक्तिगत हाथियों की पहचान करने के लिए हाथियों के मल से निकाले गए डीएनए का उपयोग किया गया।

अध्ययन के बारे में


अध्ययन भारतीय हाथियों के ऐतिहासिक प्रवास पैटर्न के बारे में जानकारी प्रदान करता है:

- **विशिष्ट जनसंख्या:** पाँच आनुवंशिक रूप से अलग जनसंख्या की पहचान की गई:
 - दक्षिणीतम हाथी (शेनकोटा गैप के दक्षिण में)।
 - मध्य भारतीय हाथी (दक्षिण-पश्चिमी पश्चिम बंगाल से पूर्वी महाराष्ट्र तक)।
 - उत्तर-पश्चिमी हाथी (उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में)।
 - उत्तर-पूर्व हाथी (गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा अलग क्षेत्र में)।
 - उत्तर भारतीय हाथी (उत्तराखंड से अरुणाचल प्रदेश तक)।
- **ऐतिहासिक विचलन:**
 - उत्तरी जनसंख्या 70,000 साल से भी पहले अन्य भारतीय हाथियों से अलग हो गई थी।
 - उत्तरी जनसंख्या: लगभग 12,000 हाथी (उत्तर-पश्चिम में 2,000 और उत्तर-पूर्व में 10,000)।
 - मध्य भारतीय हाथी लगभग 50,000 वर्ष पहले अलग हो गये थे।
 - जनसंख्या: 3,000 से अधिक हाथी।
 - दक्षिणी जनसंख्या में विचलन 20,000 वर्ष पूर्व ही दिखाई देने लगा था।
 - दक्षिणी जनसंख्या: लगभग 14,500 हाथी
 - अध्ययन से पता चलता है कि तमिलनाडु और केरल के बीच शेनकोटा गैप के दक्षिण में स्थित सबसे दक्षिणी जनसंख्या में सबसे कम आनुवंशिक विविधता है। आनुवंशिक विविधता में यह गिरावट अंतःप्रजनन अवसाद के बारे में चिंता पैदा करती है, जिससे आबादी विलुप्त होने के प्रति संवेदनशील हो जाती है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

9. 'भारतजेन' का शुभारंभ: भारत की पहली मल्टीमॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल - पीआईबी

'भारतजेन', जो भारत की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टीमॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) पहल है, का उद्घाटन हाल ही में किया गया। इसका उद्देश्य भारत में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में क्रांति लाना है, जिससे भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी AI मॉडल विकसित किया जा सके।



रक्षा क्षेत्र

10. सेना ने iDEX के माध्यम से 8वें खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए

भारतीय सेना ने हाल ही में रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) ढांचे के माध्यम से अपने 8वें खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जो स्वदेशीकरण और अभिनव रक्षा समाधानों को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम है। यह अनुबंध भारत सरकार के उस दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसके तहत स्टार्टअप और एमएसएमई को सैन्य क्षमताओं के आधुनिकीकरण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करके रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जा रहा है।

रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX)

- **लॉन्च:** अप्रैल 2018 में
- **उद्देश्य:** रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और एमएसएमई, स्टार्टअप, व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों और शिक्षाविदों को शामिल करके रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा गठित रक्षा नवाचार संगठन (डीआईओ)।
- **निधि:** रक्षा नवाचार निधि द्वारा समर्थित।

रक्षा नवाचार संगठन

- **रक्षा नवाचार संगठन की स्थापना:** 2016 में रक्षा मंत्रालय (MoD) के तहत रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में।
- **स्थापना से संबंधित संस्था:** नवाचार को बढ़ावा देने और विदेशी रक्षा आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा स्थापित।
- **उद्देश्य:** इसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान, विकास और प्रोटोटाइप निर्माण को बढ़ावा देकर रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था।